

भाजपा सरकार उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी?

इस संभावना से आतंकित जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया और जब भाजपा हाईकमान त्याग पर कार्यवाही नहीं कर रहा था तो धनखड़ ने इस्तीफे की खबर अपने ट्विटर हैंडल पर डाली

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 जुलाई। क्या मोदी सरकार बिखर रही है? क्या नेताओं का असंतोष मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहचान बनता जा रहा है, क्योंकि वे हर घटनाक्रम के कथानक पर नियन्त्रण करने की कोशिश तथा सिर्फ अपनी बात मनवाने और “यस सर” कहने वाली संस्कृति को सुनिश्चत कर रहे हैं?

जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा और उससे जुड़े तमाम विवादों से यह साफ़ दिखता है कि मोदी सरकार किसी भी असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार का स्पष्ट और सीधा संदेश है – इस सरकार में सिर्फ़ हाँ में हाँ मिलाने वालों के लिए ही जगह है।

चाहे उपराष्ट्रपति से इस्तीफ़ा मांगा गया हो या उन्होंने खुद संकेत समझकर इस्तीफ़ा दिया हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों का नतीजा एक ही है – प्रधानमंत्री और उनकी टीम की साख़ को बड़ा झटका लगा है।

खबर है कि सरकार उपराष्ट्रपति और

- **वैसे भी धनखड़ आरएसएस के नज़दीक माने जाते हैं तथा संघ के दबाव में ही धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था और उसके पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल।**
- **कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत व प्र.मंत्री नरेंद्र मोदी के तनाव की स्थिति की भी कुछ छाया तो नहीं है, धनखड़ प्रकरण पर।**
- **इसके अलावा, हाल ही में अपनी कोटा यात्रा के दौरान, धनखड़ ने काफी तीखी आलोचना की थी, कोटा की कोचिंग क्लाॅसेज़ की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस पर भारी आपत्ति की थी, क्योंकि अधिकतर कोचिंग इन्स्टीट्यूट के संस्थापक व संचालक ओम बिड़ला के नज़दीक के लोग बताये जाते हैं। ओम बिड़ला ने अपनी भावनाओं से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया था और एक बार फिर जगदीप धनखड़ की पेशी हुई अमित शाह के सामने।**
- **कई सवाल अनुत्तरित हैं, इस प्रकरण में, जिनका जवाब आना अभी बाकी है।**

राज्यसभा के सभापति के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर

रही थी।

दोपहर बाद प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ

मंत्रियों के साथ बैठक की और फैसला किया कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। राजनाथ सिंह से भाजपा सांसदों को फोन करके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाने को कहा गया। कुछ मनोनीत सांसदों को भी बुलाया गया और सभी से इस बात को गोपनीय रखने को कहा गया। धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के महाभियोग पर विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, जबकि सरकार चाहती थी कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर पहल वही करे। बताया गया है कि उन्होंने इस बारे में नेतृत्व को सूचित नहीं किया। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बहस की भी अनुमति दे दी, जिससे विपक्ष को विभिन्न प्रकार के सवाल पूछने का मौका मिलाता, जिनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। यह वही मुद्दा था, जिससे मोदी सरकार बचना चाहती थी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तान के साथ सीमित बातचीत ही हुई थी। धनखड़ को लगने लगा था कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान हाई कोर्ट में 7 नये न्यायाधीशों की अधिसूचना जारी

जयपुर, 22 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट को सात नए न्यायाधीश और मिल गए हैं, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। सात नए न्यायाधीशों में से छह अधिवक्ता कोटे से और एक न्यायिक अधिकारी कोटे से जज बने हैं। वकील

- **आशा की जा रही है कि राजस्थान हाई कोर्ट के काम की रफ्तार में तेजी आयेगी। अभी हाई कोर्ट में करीब 6 लाख साठ हजार मुकदमे लम्बित हैं।**

कोटे से जज बनने वाले संदीप तनेजा, बलजिंदर सिंह, बिपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चित्रानिया और अनुरूप सिंघी हैं, जबकि न्यायिक अधिकारी कोटे से संगीता शर्मा को हाईकोर्ट जज नियुक्त किया गया है। विधि एवं न्याय विभाग ने इस संबंध में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। संदीप तनेजा को हाईकोर्ट का स्थाई जज और शेष छह को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या वरिष्ठ जेडीयू नेता हरिवंश सिंह बन सकते हैं नए उपराष्ट्रपति?

वर्तमान में वे राज्यसभा के उपसभापति हैं और सभी दलों से उनका अच्छा तालमेल बताया जाता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 जुलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सत्तारूढ़ भाजपा में हलचल मचा दी है, इसने प्रधानमंत्री के खेमे और आरएसएस के बीच गहरी फूट को उजागर कर दिया है। इस्तीफे का आधिकारिक कारण भले रही स्पष्ट नहीं हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि धनखड़ का कार्य करने का तरीका लंबे समय से वरिष्ठ भाजपा नेताओं और आरएसएस के भीतर के लोगों को नाराजुश करता आ रहा था।

कई महीनों से सूत्र ये संकेत दे रहे थे कि धनखड़ के राज्यसभा के सभापति के रूप में बढ़ते हुये अडिगल रवये और हस्तक्षेपों से न केवल विपक्षी दलों को, बल्कि एनडीए के कुछ सहयोगियों को भी असुविधा हो रही थी।

संघ परिवार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, धनखड़, जो राजस्थान के झुंझुनूं से हैं और एक वकील से राजनेता बने हैं, अब भाजपा के शीर्ष नेताओं या

- **समझा जाता है कि सरकार गठबंधन की मजबूती का संकेत देने और सहयोगियों को खुश करने के लिए यह कदम उठा सकती है।**
- **इसी क्रम में तेलुगू देशम पार्टी के किसी नेता को उपसभापति बनाने की भी चर्चा है, इसे चंद्रबाबू नायडू को राजी करने की कोशिश बताया जा रहा है, जो कुछ समय से कई मसलों पर भाजपा से अलग राय व्यक्त कर रहे हैं।**

प्रधानमंत्री के करीबी हलकों में एक असेट (मूल्यावान व्यक्ति) के रूप में नहीं देखे जा रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि धनखड़ के कार्यकाल में अभी दो साल शेष थे। इसलिये उनका इस्तीफा केवल एक सामान्य राजनीतिक फेरबदल से कहीं अधिक प्रतीत होता है, यह गंभीर आंतरिक पुनः संतुलन का एक संकेत है। एक वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि धनखड़ की “अपनी उपयोगिता पूरी हो गई थी” और अब वे मोदी-शाह नेतृत्व की बदलती

राजनीतिक रणनीति से मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन उन्हें हटाने का निर्णय लेना आसान नहीं था। इसके लिए कई शक्ति केन्द्रों में सहमति की आवश्यकता थी, जैसे भाजपा नेतृत्व, संघ और एनडीए के प्रमुख सहयोगी दला। इसी बीच, अब यह खबरें आ रही हैं कि एनडीए संसद में एक बड़े पुनर्गठन पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति और वरिष्ठ जेडी (यू) नेता हरिवंश सिंह को धनखड़ के स्थान पर लाने के विकल्प (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू विमान मरम्मत के बाद वापस गया

तिरुवनंतपुरम (केरल), 22 जुलाई। ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू विमान एफ-35 आखिरकार ब्रिटेन के लिए रवाना हो गया है। लगभग एक महीने से भारत में खड़े रहे इस विमान ने आज तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से उड़ान भरी है।

- **एफ-35 फाइटर जेट का हाइड्रॉलिक सिस्टम खराब हो गया था तथा उसे तिरुवनंतपुरम में आपात लैंडिंग करने पड़ी थी। ब्रिटिश इंजीनियरों को इसे ठीक करने में 38 दिन लगे।**

ब्रिटिश नेवी का यह एअरक्राफ्ट एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स का हिस्सा है। इसने 14 जून को केरल के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। विमान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मिग-21 की भारतीय वायु सेना से विदाई होगी

नई दिल्ली, 22 जुलाई। भारतीय वायु सेना रूस निर्मित मिग-21 लड़ाकू विमानों को सितंबर में सेवानिवृत्त कर देगी। करीब 62 साल तक भारतीय वायुसेना को सेवा देने के बाद मिग-21 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास समारोह में विदाई दी जाएगी।

मिग-21 को 1963 में वायु सेना में शामिल किया गया था। इस विमान ने 1965, 1971, 1999 और 2019 की सभी बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में भाग लिया है। मिग-21 एक हल्का सिंगल पायलट फाइटर जेट है। सोवियत रूस के मिकोयान-गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने इसे

- **सूत्रों ने बताया कि 62 साल वायु सेना में सक्रिय रहे इन विमानों को चंडीगढ़ एयर बेस पर एक समारोह में विदाई दी जाएगी।**

1959 में बनाना शुरू किया था। यह विमान 18 हजार मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये एअर टू एअर मिसाइलों और बम को अपने साथ ले जाने में सक्षम है।

इसकी स्पीड अधिकतम 2,230 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1,204 नॉट्स (माक 2.05) तक की हो सकती है। 1965 और 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध में मिग-21 विमानों का इस्तेमाल हुआ था। 1971 में भारतीय मिग ने चेंगडू एफ विमान (ये भी मिग का ही एक और वेरियंट था जिसे चीन ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकारों को नोटिस भेजा

मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आए “प्रेसिडेंशियल रैफरेंस” पर यह नोटिस भेजा गया है

- **सुप्रीम कोर्ट की, सीजेआई बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने नोटिस जारी करने के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख दी है, साथ ही एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को कोर्ट की सहायता करने का निर्देश दिया है।**
- **गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने 8 अप्रैल 2025 को फैसला दिया था कि राज्यपाल अनिश्चितकाल के लिए विधेयक को दबाकर रख नहीं सकते, हालांकि, आर्टिकल 200 में विधेयक पर मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। उन्होंने यह निर्देश भी दिया, कि जब राज्यपाल कोई बिल विचारार्थ राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर तीन माह में निर्णय लेना होगा और कोई देरी हो तो संबंधित राज्य को बताना होगा, इस निर्णय के अनुसार, राज्यपाल को विधेयक पर “पॉकेट वीटो” या “पूर्ण वीटो” का हक नहीं है।**
- **इस आदेश पर 15 मई को राष्ट्रपति मुर्मू ने “प्रेसिडेंशियल रैफरेंस” भेजा, जिसमें 14 संवैधानिक सवाल उठाए, जिनमें प्रमुख था कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति व राज्यपाल को विधेयक की मंजूरी हेतु “समय सीमा” के लिए बाध्य कर सकता है। रैफरेंस कहता है कि संविधान में न्यायपालिका को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है।**

और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 में एक निर्दिष्ट समयसीमा की अनुपस्थिति के बावजूद विधेयकों पर सहमति देने में अनिश्चितकालीन देरी नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि इसमें कोई और देरी हो, तो उसका स्पष्ट कारण संबंधित राज्य को बताया जाना चाहिए। इस निर्णय की अन्य मुख्य बातें थीं कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पॉकेट वीटो (राज्यपाल द्वारा बिना निर्णय के पक्के थे...) का हक नहीं है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि राज्यपाल को विधेयक को दबाकर रख नहीं सकते, हालांकि, आर्टिकल 200 में विधेयक पर मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। उन्होंने यह निर्देश भी दिया, कि जब राज्यपाल कोई बिल विचारार्थ राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर तीन माह में निर्णय लेना होगा और कोई देरी हो तो संबंधित राज्य को बताना होगा, इस निर्णय के अनुसार, राज्यपाल को विधेयक पर “पॉकेट वीटो” या “पूर्ण वीटो” का हक नहीं है। इस आदेश पर 15 मई को राष्ट्रपति मुर्मू ने “प्रेसिडेंशियल रैफरेंस” भेजा, जिसमें 14 संवैधानिक सवाल उठाए, जिनमें प्रमुख था कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति व राज्यपाल को विधेयक की मंजूरी हेतु “समय सीमा” के लिए बाध्य कर सकता है। रैफरेंस कहता है कि संविधान में न्यायपालिका को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

वजह से उन्हें शाही जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए दूर रखा गया। डॉनल्ड ट्रंप पर एपस्टीन के करीबी होने के आरोप लगे हैं और अब यह आरोप भी लगा रहा है कि वे उसके नजदीकी सर्कल का हिस्सा थे। ट्रंप ने स्वाधीनता रूप से सभी आरोपों का खंडन किया है, लेकिन उनकी सफाइयों अक्सर अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली बताई जा रही हैं। अपने संबंधों से इन्कार करते समय वो कुछ हिचकिचाए हैं। हालाँकि, अब मतदाता यह चाहते हैं कि राष्ट्रपति पूरी सच्चाई सामने रखें। यहाँ तक कि उनके वफादार समर्थक और रिपब्लिकन भी मांग कर रहे हैं कि सभी दस्तावेज जनता के सामने पेश किए जाएँ, ताकि सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि “सिर्फ सच्चाई ही संतुष्टि दे सकती है।”

प्रमुख समाचार एजेंसी सी.एन.एन.

नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रपति सच्चाई बता रहे हैं, या उनके जवाब उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पा रहे हैं कि असली मुद्दा क्या था।

इस निर्णय की अन्य मुख्य बातें थीं कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पॉकेट वीटो (राज्यपाल द्वारा बिना निर्णय के पक्के थे...) का हक नहीं है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि राज्यपाल को विधेयक को दबाकर रख नहीं सकते, हालांकि, आर्टिकल 200 में विधेयक पर मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। उन्होंने यह निर्देश भी दिया, कि जब राज्यपाल कोई बिल विचारार्थ राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर तीन माह में निर्णय लेना होगा और कोई देरी हो तो संबंधित राज्य को बताना होगा, इस निर्णय के अनुसार, राज्यपाल को विधेयक पर “पॉकेट वीटो” या “पूर्ण वीटो” का हक नहीं है।

मुम्बई ट्रेन धमाकों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

नयी दिल्ली, 22 जुलाई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 2006 के ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 दोषियों को

- **महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई ट्रेन धमाकों में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बाम्बे हाईकोर्ट ने इस आतंकी घटना के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस घटना में 189 लोग मरे थे व 820 गंभीर घायल हुए थे।**

बरी करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)